



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील संख्या 211/2025

- 1- भानु प्रताप सिंह पिता श्री पीताम्बर सिंह उम्र लगभग 58 वर्ष
निवासी फॉरेस्ट बैरियर के पास, खैरबार, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
पिन कोड 497001, वर्तमान में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग,
(छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग) भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, पहुना के
पास, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन कोड 492001
- 2 - गणेश ध्रुव पिता श्री धरमू सिंह ध्रुव उम्र लगभग 50 वर्ष
गोविंद निवासी, बी-17, नयापारा वार्ड, कृष्णा नगर, भाटापारा, जिला
बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) पिन कोड 493118 वर्तमान में सदस्य के रूप में पदस्थ हैं
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग)
भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, पहुना के पास, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
पिन कोड 492 001
- 3 - अमृत लाल टोप्पो पिता श्री जोसेफ टोप्पो उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी सेंट।
जेवियर स्कूल, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) पिन कोड 497001।
वर्तमान में सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
(छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग) भगत सिंह चौक,
शंकर नगर रोड, पहुना के पास, रायपुर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
पिन कोड 492 001

----अपीलकर्ता

बनाम

- 1- छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी
- 2 - भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492 002
- 2- सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन कोड 492002
- 3- अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन
छत्तीसगढ़, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर,
रायपुर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन कोड 492015
- 4- सचिव, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास
विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर,
रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
पिन कोड 492 015
- 5- अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास



2
विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी
भवन, नया रायपुर, अटल नगर, रायपुर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
पिन कोड 492 015

- 6 - श्रीमती अर्चना पोर्ते पत्नी श्री शंकर कंवर उम्र लगभग 51 वर्ष
निवासी वार्ड क्रमांक 15, गर्ल्स कॉलेज, समता नगर, पेंड्रा रोड, जिला
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़) पिन कोड 495 117
पूर्व में सदस्य के रूप में पदस्थ छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग
(छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग) भगत सिंह चौक,
शंकर नगर रोड, पहुना के पास, रायपुर, जिला रायपुर
(छत्तीसगढ़) पिन कोड 492 001,
(रिट याचिका में याचिकाकर्ता क्रमांक 4 ने आक्षेपित आदेश
पारित होने से पहले अपना इस्तीफा दे दिया)

-----उत्तरवादी

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है।)

अपीलकर्ताओं के लिए:
राज्य के लिए:

श्री के रोहन, अधिवक्ता
श्री रणबीर सिंह मरहास, अतिरिक्त महाधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति
माननीय श्री न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल
बोर्ड पर निर्णय

मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा के अनुसार
26.03.2025

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री के. रोहन को सुना। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री रणबीर सिंह मरहास को भी सुना।
2. वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील अपीलकर्ताओं द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 206/2024 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 29.01.2025 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अधीन रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को निरस्त कर दिया गया है।
3. अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान अपील प्रस्तुत की है:-



"क) वर्तमान मामले से संबंधित संपूर्ण अभिलेख मंगाएं।

ख) यह माना जाए कि उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 15.12.2023 के आक्षेपित आदेश (रिट याचिका में अनुलग्नक-पी/2) जारी करने की कार्रवाई, जिसके अधीन छत्तीसगढ़ राज्य ने अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को हटा दिया है और समाप्त कर दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों का पूर्ण और घोर उल्लंघन और गैर-अनुपालन है, जो कानून की दृष्टि से गलत है।

ग) एक उत्प्रेषण रिट जारी करें और दिनांक 15.12.2023 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-पी/2) को अपास्त करें।

घ) आक्षेपित आदेश को अपास्त करें। रिट याचिका (सिविल) संख्या 206/2024: भानु प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (अनुलग्नक-ए/1) में दिनांक 29.01.2025 को आदेश पारित किया गया।

ई) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान की जाए।

एफ) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और उचित समझी जाने वाली कोई अन्य राहत प्रदान की जाए।

4. अपीलकर्ताओं/रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार हैं:-

- पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 अधिनियमित किया था। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के अनुसरण में, 01.11.2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। मप्र के प्रावधानों के आलोक में छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन राजपत्र अधिसूचना दिनांक 02.09.2002 को प्रतिस्थापित किया गया नाम: "मध्य प्रदेश" साथ "छत्तीसगढ़" और "भोपाल" के साथ "रायपुर", इस प्रकार, अब मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति



आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 (संक्षेप में 'अधिनियम, 2020') में संशोधन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995. की धारा 3 अधिनियम, 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है, जबकि धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा अवधि का प्रावधान है।

- अधिनियम, 2020 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य ने दिनांक 16.07.2021 के आदेश के अधीन अपीलकर्ता क्रमांक 1 को अध्यक्ष और अपीलकर्ता क्रमांक 2 से 3 को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया। इसके बाद, अपीलकर्ता छत्तीसगढ़ सरकार की संतुष्टि के अनुसार अधिनियम, 2020 के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे और अपीलकर्ताओं के खिलाफ कभी भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि, सरकार के परिवर्तन के बाद, वर्ष 2023 में आयोजित राज्य विधानसभा चुनावों के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य ने दिनांक 15.12.2023 के आदेश क्रमांक 2270/1883/2023/1/6 (अनुलग्नक-पी/1) के अधीन छत्तीसगढ़ सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किया कि वे उन व्यक्तियों को हटा दें जिन्हें 'राजनीतिक रूप से नियुक्त' किया गया था, सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें लागू कानून के प्रावधानों के अधीन नहीं हटाया जा सकता है।

- अपीलकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि उनकी नियुक्ति अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई थी, अतः दिनांक 15.12.2023 का आदेश उन पर लागू नहीं होगा। यद्यपि अचानक दिनांक 15.12.2023 (अनुलग्नक-पी/2) के आदेश के अधीन अपीलकर्ताओं की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं।

- अपीलकर्ताओं के अनुसार, अधिनियम, 2020 की धारा 4 (3) के प्रावधानों में विशेष रूप से उन परिस्थितियों का प्रावधान है जब किसी सदस्य (अध्यक्ष सहित) को हटाया जा सकता है और प्रावधान में विशेष रूप से प्रभावित व्यक्ति को उसकी सेवा समाप्ति/ हटाने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। वर्तमान मामले में अधिनियम, 2020 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन और गैर-अनुपालन हुआ है क्योंकि न तो धारा 4(3) के अधीन हटाने के लिए निर्धारित तरीके का पालन किया गया है और न ही अपीलकर्ताओं को उनकी सेवा समाप्त करने से पहले प्रावधान के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया गया है और इस तरह, आरोपित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है, अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।





5. राज्य ने अपने जवाब में प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं की नियुक्ति केवल सरकार की इच्छा तक की गई थी और राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इसे निरस्त किया जा सकता है। संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा लाए गए अधिनियम, 2020 की धारा 4(1) के अनुसार, पदधारी राज्य सरकार की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। नियुक्ति आदेश से ही स्पष्ट है कि उनकी नियुक्ति राज्य सरकार की इच्छा पर्यन्त अवधि के लिए थी, तथा उसी का हवाला देते हुए उन्हें हटाने का आदेश पारित किया जाता है।

6. पक्षों की सुनवाई के पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पद पर आसीन व्यक्ति को किसी भी समय, बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए तथा बिना किसी कारण की आवश्यकता के हटाया जा सकता है, क्योंकि अध्यक्ष/सदस्य का पद महामहिम राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद है, जिसे वर्तमान रिट अपील में चुनौती दी गई है।

7. अपीलकर्ताओं/रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री के. रोहन ने कहा कि विधिक प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए तथा इससे कोई भी विचलन राज्य सरकार को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी जांच और संतुलन के पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं की नियुक्ति सरकार की इच्छा पर निर्भर थी, फिर भी अधिनियम 2020 की धारा 4 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। यह केवल अतः है क्योंकि शासन बदल गया है, रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं को हटा दिया गया है, तथा उन्हें हटाने से पहले सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं की नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति है जो सरकार की इच्छा पर निर्भर है, तो भी इच्छा का सिद्धांत न तो कानून के प्रावधानों को दरकिनार करने की परिकल्पना करता है और न ही कानून की उचित प्रक्रिया की अनदेखी करने की शक्ति देता है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश के पैरा-8 और 9 में की गई टिप्पणियों पर जोरदार ढंग से जोर दिया और कहा कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय उपरोक्त पैरा में उक्त टिप्पणियां नहीं की गई हैं यद्यपि उक्त आयोग में अध्यक्ष/सदस्य का पद इच्छा के सिद्धांत द्वारा शासित है और ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों को बिना नोटिस या कोई कारण बताए हटाया जा सकता है। यद्यपि आक्षेपित आदेश के पैरा 8 और 9 में की गई टिप्पणियां कलंकपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी और रिट याचिकाकर्ताओं/रिट अपीलकर्ताओं को हटाने के लिए



दिए गए तर्क आक्षेपित आदेश में नहीं थे, जो कि रिट याचिका का विषय था। अतः आक्षेपित निर्णय में की गई उक्त टिप्पणी को निरस्त किया जा सकता है।

9. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री रणबीर सिंह मरहास ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कानून के अनुसार है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति सरकार की इच्छा के दौरान की गई थी, जिसका उल्लेख नियुक्ति आदेश में ही किया गया है। नियुक्ति बिना किसी लांछन के निरस्त कर दी गई। जब खुशी के सिद्धांत का आह्वान किया जाता है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। अतः, रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं को हटाने पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही विचार किया गया है और रिट अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिट याचिका के साथ-साथ वर्तमान रिट अपील के साथ संलग्न सामग्री का अवलोकन किया है।

11. पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं की नियुक्ति राज्य सरकार की इच्छा अवधि के दस्तावेजों पर आधारित थी। रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं का नियुक्ति आदेश दिनांक 16.07.2021 (रिट याचिका का अनुलग्नक पी-7) स्वयं इस शर्त के साथ है कि उनकी नियुक्ति राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है। नियुक्ति की शक्ति में नियुक्ति को निरस्त करने की शक्ति भी शामिल है। रिट याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना राज्य सरकार के विवेक से नामित/नियुक्त किया गया है और इस तरह के नामांकन/नियुक्ति को सरकार की इच्छा के अधीन माना जाना चाहिए और रिट याचिकाकर्ताओं को कोई कानूनी या मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करना चाहिए। मनोनीत/नियुक्त व्यक्तियों को उनके हटाए जाने से पहले सुनवाई का कोई अवसर न दिए जाने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है, न ही प्रसाद के सिद्धांत से मनोनीत/नियुक्त सदस्यों के प्रदर्शन या चरित्र पर कोई कलंक लगता है। सरकार की प्रसन्नता किसी भी तरह से कानून के अधीन किसी भी प्रावधान द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, जिसके बारे में हम वर्तमान में चिंतित हैं। प्रसाद के सिद्धांत के संचालन से बाहर रखने का सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं को हटाने का आक्षेपित आदेश उन पर कोई कलंक नहीं लगाता है, अतः नोटिस जारी करने या सुनवाई का कोई अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, अधिनियम 2020 की धारा 4(1) के प्रावधान के अनुसार, "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, पदभार ग्रहण करने की तिथि से, राज्य सरकार की इच्छा पर्यन्त पद पर बने रहेंगे"। रिट



याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं को हटाने का निर्णय राजनीतिक नियुक्तियों को हटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 15-12-2023 के आदेश के अनुसरण में लिया गया है।

12. अपीलकर्ताओं/रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने भी आक्षेपित आदेश के पैरा 8 और 9 में की गई टिप्पणियों पर जोर दिया है और प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पैरा 8 और 9 में दर्ज निष्कर्ष विकृत और अभिलेख के विपरीत हैं और दिनांक 15.12.2023 के आक्षेपित निष्कासन आदेश में इसका उल्लेख नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा अपने जवाब में इसका तर्क दिया गया है। अपने प्रस्तुतीकरण के दौरान भी, उन्होंने इस तरह के तर्क नहीं दिए हैं। अतः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 29.01.2025 के आक्षेपित आदेश के पैरा 8 और 9 में की गई टिप्पणियों को निरस्त किया जा सकता है। चूंकि दिनांक 15.12.2023 के आक्षेपित निष्कासन आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है, अतः विद्वान एकल न्यायाधीश को आक्षेपित आदेश में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

13. दस्तावेजों के अवलोकन और दिनांक 29.01.2025 के आक्षेपित आदेश के पैरा 8 और 9 से यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उन पैराग्राफों में की गई टिप्पणी दिनांक 15.12.2023 के आक्षेपित निष्कासन आदेश में नहीं है और इसे आक्षेपित आदेश के पैरा 10 के दूसरे भाग में भी दोहराया गया है। जब आरोपित आदेश में उक्त आयोग के सदस्य/अध्यक्ष को हटाने का कोई तर्क नहीं दर्शाया गया है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश को तर्क में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या उसे स्पष्ट नहीं करना चाहिए, जो विषय-वस्तु में अन्य विवादक पैदा कर सकता है।

14. जैसा भी हो, जब अध्यक्ष और सदस्य का पद प्रसाद के सिद्धांत के सिद्धांत से संचालित होता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष/सदस्य को किसी भी समय, बिना किसी नोटिस के, बिना कारण बताए, और बिना किसी कारण की आवश्यकता के पद से हटाने की शक्ति थी, जो वर्तमान मामले में दिनांक 15.12.2023 के आदेश के अनुसार किया गया है।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ बी.पी. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने के बाद। सिंघल बनाम भारत संघ और अन्य [2010 (6) एससीसी 331] और ओम नारायण अग्रवाल और अन्य बनाम नगर पालिका, शाहजहांपुर और अन्य [1993 (2) एससीसी 242] ने निम्नानुसार माना है:-

“12. यह स्थापित कानून है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। इसे एक अनम्य सूत्र में नहीं रखा



जा सकता है। इसे मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना शून्य में लागू नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, यह घिसा-पिटा है, कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। जब तथ्य स्वीकार किए जाते हैं, तो सुनवाई का अवसर देना एक खाली औपचारिकता होगी। यहां तक कि एस्टॉपल का सिद्धांत भी लागू होगा।

13. याचिकाकर्ता किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं और उन्हें अपने कार्यकाल के संबंध में किसी संवैधानिक संरक्षण या किसी वैधानिक संरक्षण का अधिकार नहीं है। तथ्यों और परिस्थितियों में आह्वान के सिद्धांत का प्रयोग मनमाना, तर्कहीन और अनुचित नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता निर्वाचित नहीं थे और यहां तक कि उन्हें किसी भी तरह के चयन द्वारा नियुक्त भी नहीं किया गया था। उन्हें पिछली सरकार ने चुना था।

14. यह सामान्य कानून है कि यदि कोई नियुक्ति शुरू में नामांकन द्वारा की गई है, तो संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हो सकता है, जो राज्य विधानमंडल सरकार को अपनी इच्छानुसार ऐसी नियुक्ति को समाप्त करने और उनके स्थान पर नए सदस्यों को मनोनीत करने के लिए अधिकृत करता है। ऐसा अतः है क्योंकि मनोनीत सदस्यों के पास इच्छा या अधिकार नहीं है। प्राधिकारियों की कार्रवाई न तो संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करती है और न ही संविधान में निहित किसी सार्वजनिक नीति या लोकतांत्रिक मानदंडों के विरुद्ध है। किसी मनोनीत सदस्य को भी वर्तमान में प्रक्रिया अपनाकर हटाया जा सकता है। अन्यथा वह अपने कार्यकाल के समाप्त होने तक पद पर बना रहेगा। निहित अधिकार की दलील हवा में महल बनाने के समान है।

15. ओम नारायण अग्रवाल (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 पर विचार किया, जो प्रसाद के सिद्धांत का प्रावधान करती है और इसकी वैधता को बरकरार रखा है। यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, 2020 के प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दी है।

16. बी.पी. सिंघल (पूर्वोक्त) मामले में, राज्यपालों के संबंध में प्रसाद के सिद्धांत के आह्वान पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रसाद के सिद्धांत को वैध कारणों से लागू किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि प्रसन्नता के अधीन किसी पद के धारक को किसी भी समय, बिना नोटिस के, बिना कारण बताए और बिना किसी कारण



की आवश्यकता के हटाया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ताओं को उनके नामांकन से पहले चयन की किसी भी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा है।

17. वर्तमान मामले के तथ्यों और ऊपर वर्णित कारणों के लिए कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, मेरी राय में, आरोपित आदेश (अनुलग्नक-पी/2) में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है। यह उचित और न्यायसंगत है, जिसमें इस न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

18. परिणामस्वरूप, याचिका बिना किसी आधार के निरस्त की जा सकती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

16. अपीलकर्ताओं/रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका में लगाए गए आदेश का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा प्रसाद के सिद्धांत का सही प्रयोग किया गया है तथा इसे मनमाना, तर्कहीन या अनुचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हटाने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के पैरा 8 और 9 में देखा गया है, जो कि यदि 15.12.2023 के हटाने के आदेश में नहीं था, तो हटा दिया जाता है।

17. मामले पर समग्रता से विचार करने तथा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने तथा साथ ही लगाए गए आदेश का अवलोकन करने के पश्चात हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं/रिट याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को निरस्त करते हुए लगाए गए आदेश को सही ढंग से पारित किया है, क्योंकि आनंद के अधीन किसी पद के धारक को हटाया जा सकता है। किसी भी समय, बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए और बिना किसी कारण की आवश्यकता के।

18. पूर्वोक्त चर्चाओं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.पी. सिंघल (पूर्वोक्त) और ओम नारायण अग्रवाल (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून के स्थापित सिद्धांतों के दृष्टिकोण में यह न्यायालय इस राय पर है कि इस अंतर-न्यायालय अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो कि निरस्त किए जाने योग्य है और इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।



सही/- (रवींद्र कुमार अग्रवाल) न्यायाधीश	सही/- (रमेश सिन्हा) मुख्य न्यायाधिपति
---	---

Head Note

If an appointment has been made initially by nomination, there can be no violation of any provision of the Constitution in case the legislature authorised the State Government to terminate such appointment at its pleasure and to nominate new members in their place.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।